पत्र संख्या—आई0टी0— VAT MIS Module—(2022—23)/ 218 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(आई0टी0—अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 10 मई, 2022

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

जी0एस0टी0एन0 द्वारा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियो के उपयोगार्थ BIFA के माध्यम से एक उपयोगी रिपोर्ट उपलब्ध करायी जा रही है, जिसकी लागिन आई0डी0 मुख्यालय द्वारा समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर एवं मुख्यालय के नामित अधिकारियों को आबंटित है । फील्ड मे तैनात समस्त अधिकारियों के उपयोगार्थ मुख्यालय द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर VAT MIS पर BIFA Tab के अन्तर्गत यह Report उपलब्ध है ।

अद्योहस्ताक्षरी के संज्ञान मे यह आया है कि VAT MIS BIFA रिर्पोटिंग माडयूल मे आंकड़े प्रदर्शित नही हो रहे है । यह स्थिति कदापि उचित नही है । इस सम्बन्ध मे पूर्व मे भी मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं । पुन: स्पष्ट किया जाता है कि विभाग के VAT MIS Comtax पोर्टल के Departmental Services के Tab में उपलब्ध MS/SIB/Court Case माडयूल के लिंक में विभागीय अधिकारियों के द्वारा Login करने के पश्चात BIFA Menu में उपलब्ध Sub Menu में action against BIFA report के अन्तर्गत कृत कार्यवाहियों की प्रविष्टियाँ की जानी है । जिसके उपरान्त यह रिर्पोटिग माडयूल के कालम 5 से 14 तक मे प्रदर्शित होने लगेगा ।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि राजस्व वृद्धि एवं करापवंचन पर अंकुश लगाने हेतु रिर्पोट का उपयोग करते हुये अपने अधीनस्थों से प्रभावी कार्यवाही कराते हुये कृत कार्यवाहियों को VAT MIS BIFA पोर्टल पर सभी कालमों को अपडेट करायेंगें । जोन द्वारा की गयी कार्यवाहियों की समीक्षा इन्ही आंकड़ो के आधार पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आयोजित बैठक में की जायेगी ।

9/5/2022

(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।